न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक- निग 2554-II-16

परमेश्वरी कुशवाहा आत्मज स्व. सरमन कुशवाहा निवासी मामौन दरवाजा टीकमगढ तह.व जिला टीकमगढ म.प्र.

---- निगरांकार

बनाम

1- भागीरथ तिवारी आत्मज स्व. प्रभूदयाल तिवारी निवासी ग्राम गहरवार थाना ईशानगर जिला छतरपुर म.प्र. हाल निवासी जानकीबाग/अंबेडकर तिराहा टीकमगढ तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

2- मथुरा प्रसाद कुशवाहा आत्मज स्व. बलू कुशवाहा

3- प्रेम कुशवाहा आत्मज स्व. श्री बलू कुशवाहा

4- उक्त दोनो निवासीयान मामौन दरवाजा टीकमगढ तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

5- शासन मध्य प्रदेश

---प्रतिनिगराकारगण/अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 प्रतिकूल आदेश दिनांक 18/01/2016 न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) जिन्होने अपील क्रमांक 708/अ-19/1992-93 मथुरा प्रसाद कुशवाहा, प्रेम कुशवाहा पुत्रगण स्व. बलू कुशवाहा, श्रीमति श्याम-दुलारी पत्नि स्व. बलू कुशवाहा, गल्ली आत्मज स्व. मगन कुशवाहा, सरमन कुशवाहा आत्मज स्व. मगन कुशवाहा निवासीयान टीकमगढ म.प्र. बनाम शासन म.प्र., भागीरथ तिवारी आत्मज प्रभूदयाल तिवारी वगैरह मे दिनांक 18/01/2016 को सभी अपीलांट व उनके वारिसानो को सुने बिना एवं बिना उनके हस्ताक्षरो के अवैध व अनियमित ढंग से एक मात्र अपीलांट मथुरा प्रसाद कुशवाहा से राजीनामा के आधार पर उक्त अपील प्रकरण अवैध व अनियमित ढंग से निरस्त कर दिया गया ।

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक निगरानी 654–दो/16 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 708/अ–19/92–93 में पारित आदेश दिनांक 18–1–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता ने ग्राह्यता में तर्क किया कि आवेदक परमेश्वरी सरमन (मृत) का पुत्र है, जो अपर आयुक्त के समक्ष अपीलार्थी कमांक 5 थे और अधिवक्ता से रिप्रजेन्टेड थे, किन्तु उनकी बगैर सहमति कथित राजीनामें के आधार पर प्रकरण अपर आयुक्त ने समाप्त कर दिया । 3/ तर्क एवं अभिलेख के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 23–2–16 निरस्त करता हूँ और अपर आयुक्त को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 708/अ–19/92–93 पुनः खोले और पक्षकारों या उनके विधिक वारिसों को विधिवत रिकार्ड पर लेते हुए पुनः राजीनामें के प्रति में से उन प्रत्येक की सहमति पहले चेक करें और तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही करते हुए उचित आदेश पारित करें । आदेश पारित । पक्षकार सूचित हो । दा0 द0 हो । (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	